

SCMS
2020/00055
08/02/21

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

सन्तान, उरस वना, नोत्रानसका
श्री राजू रका

हलका भूका वडातसिह

पुत्र श्री सुतबोणवना जाति मुसलमान

निवासी भूका वडातसिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 52/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका वडातसिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूका वडातसिह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 अफीर किस्म भूमि गैर सापल पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कच्चा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सापल उपस्थित। पीपलीग अधिकारी बाणकीप कार्य हेतु औद्योगिक पदारे से पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	सक 2021 राजुजा उरसवा
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सापल उपस्थित। गैर सापल ने जवाब हेतु समर्थ चाहा जा दिख जाकर पत्रावली दि. 27-01-2021 को पेश है।	सकुरवा राजुजा

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-11-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि. 10-2-2021 को चेस है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी का सिवाना ड्यूटी पर पधार है। पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिनांक जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब हेतु वार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सामल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली फंसल सुमार ही निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली ही पत्रावली फंसल सुमार हीम्बर दाखिल दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर